व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–47 / 2014–15

शिवशंकर भगत

बनाम्

शंभू मोदी एवं अन्य

25/10/2019

–: आदेश :–

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक शिवशंकर भगत, पे0–स्व0 सत्यनारायण भगत, सा0–कौड़ी बहियार, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा ने मौजा–कौड़ीबहियार के जमाबंदी सं0–75 के अंदर दाग नं0–812, रकवा–06–00–00 धुर जमीन से विपक्षी चक्रधर यादव, पे0–स्व0 अन्नती मंडल उर्फ अनंतलाल मंडल, सा0–कुटनी पाथर, थाना–गोड्डा (मु0), जिला–गोड्डा एवं दाग नं0–812 के अंदर रकवा–02–10–00 धुर जमीन से शंभू मोदी, पे0–गंगाधर मोदी, सा0–कौड़ीबहियार, अंचल–गोड्डा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक का आवेदन है कि मौजा–कौड़ीबहियार, जमाबंदी सं0–75 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत राम सुभग भगत वल्द् अछेवर भगत के नाम से दर्ज है। आवेदक गत जमाबंदी रैयत के पोता है। जमाबंदी रैयत के द्वितीय पुत्र सूर्य नारायण भगत ने दाग नं0–812 के अंदर रकवा–02–10–00 धुर जमीन विपक्षी सं0–01 शंभू मोदी एवं दाग नं0–812 के अंदर रकवा–06–00–00 धुर जमीन विपक्षी सं0–02 चक्रधर यादव को बटाई पर खेती के लिए दिया था। लेकिन समयान्तराल में विपक्षीगण को नियत बदल गया और बटाई का उपज देना भी बन्द कर दिया है तथा जमीन हड़पने के नियत से उस पर घेराबंदी भी करना शुरू किया था। आवेदक ने विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण का कथन है कि वर्त्तमान वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि विपक्षीगण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 का उल्लंघन नहीं किया गया है। विपक्षी सं0–01 को जमीन भूदानी पट्टा के माध्यम से प्राप्त हुआ है एवं भूदानी पट्टा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के केश नं0–526 / 1978–79 आदेश दिनांक–13 / 05 / 1979 के द्वारा पट्टा सम्पुष्ट किया गया है तथा वर्त्तमान तसदीक सर्वे में भी विपक्षी के नाम से अलग खाता भी खोल दिया गया है। उनलोगों का आगे कथन है कि आवेदक के द्वारा भी वाद वापसी के लिए आवेदन दिया गया है एवं आवेदक ने प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।